(81)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : के0सी0 जैन

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक-729-एक/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 19-1-2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक-82/निगरानी/01-02

सोने राम पुत्र श्री मिश्री यादव
निवासी ग्राम अतबई तहसील
पोहरी जिला शिवपुरी म0प्र0

----- आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ----- अनावेदक

श्री एस0 पी0 धाकड़ , अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0 एन0 त्यागी, पैनल अभिभाषक अना0

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29.6. 2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग

ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 82/निगरानी/01-02 पारित आदेश दिनांक 19-1-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी पोहरी द्वारा दिनांक 7.12.98 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि तत्कालीन तहसीलदार पोहरी द्वारा उनके प्रकरण कमांक 23/अ-19/96-97 के आदेश दिनांक 10.12.96 से ग्राम अतवई के खसरा कमांक 1152 रकवा 0.03 एवं खसरा कमांक 1153 रकवा 0.03 है0 का पटट्ा आवेदक सोनेराम पुत्र मिश्री यादव के हित में दिया गया है। इस पटट्े की भूमि से आमरास्ता बन्द हो गया है। अनावेदक के हित में किया गया पटट्ा नियमों के विरूद्ध विरूद्ध होने से स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करने का निवेदन किया है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन को आधार मानते हुये प्रकरण दर्ज किया गया। अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी कर उत्तर चाहा गया कि उसके हित में किये गये पटट्े की भूमि से आम रास्ता बन्द होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आवेदन के आधार पर क्यों न पटटा निरस्त किया जावे। इसका उत्तर आवेदक द्वारा दिया गया और जबाव में बताया गया कि विवादित भूमि पर उनके द्वारा वर्षो से कृषि कार्य कर रहे हैं और काबिज चले आ रहे है। इस भूमि से आम रास्ता है ही नहीं और किसी व्यक्ति का रास्ता बन्द नहीं हुआ है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि ग्राम के व्यक्तियों ने रंजिश रखते हुये यह कार्यवाही कराने के प्रयास में हैं। उसके द्वारा नोटिस निरस्त करने की मांग की । अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी ने आदेश दिनांक 28.12.01 के द्वारा पटटा निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध वह अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 19.1.05 को सारहीन होने से निरस्त की गई जिसके विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि तहसीलदार न्यायालय द्वारा इश्तहार जारी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं आई। तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत जांच की जाकर

अलोच्य भूमि का पट्टा जारी किया गया जिसे वगैर किसी ठोस आधार के अधीनस्थ न्यायालय को स्वयमेंव निगरानी में लिया जाकर निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त भूमि को श्रम धन के द्वारा उपजाऊ बनायागया। उक्त भूमि से कभी कोई राजस्व नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

4-अनावेदक शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि उपरोक्त दिया गया पट्टे से आम रास्ता बन्द हो रहा जिससे ग्रामीणों को बहुत परेशानी हो रही है पट्टा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है । आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे।

5-उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का मनन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है । अभिलेख से यहतथ्य प्रकरट है कि निगरानीकर्ता कोदिये गये पट्टे के फलस्वरूप ग्रामवासियों केमध्य रास्तेका विवाद उत्पन्न हुआ है। आलोच्य भूमि कारकवा 0.03 है0 जो स्वतंत्र बंटन की परिधि में नहीं आताहै ऐसी भूमियों का व्यवस्थापन आर0बी0सी0 के प्रावधानों केतहत खते के साथ कियाजाता है किन्तु निगरानीकर्ता को यह भूमि विशेष उपबंध अधिनियम के अंतर्गत किया गया है । ग्रामवासियों को रास्ता में असुविधा हो रही है। इसलिये आवेदक को प्रदाय पट्टा अधीनस्थ न्यायालयों ने निरस्त किया है । इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अतः प्रस्तुत निगरानी आवेदक की सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त का ओदश दिनांक 19.1.05 स्थिर रखा जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर